

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ०प्र०,
विशाल कॉम्प्लेक्स,
19-ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या-एस०पी०एम०यू०/CH/NBSU/45/2018-19/ 7240-75

दिनांक 05/10/18

विषय-न्यूबोर्न स्टेबलाईजेशन इकाई (NBSU) के लिये आपरेशनल कास्ट एवं संविदा स्टाफ नर्सों के मानदेय हेतु स्वीकृत धनराशि के सम्बंध में।

महोदय/महोदया,

आप अवगत हैं कि प्रदेश में शिशु मृत्युदर में कमी लाने के लिये चिकित्सालयों के प्रसव कक्ष में न्यूबोर्न केयर कार्नर (NBCC) एवं प्रथम संदर्भन इकाईयों (FRUs) पर नवजात शिशु स्टेबलाईजेशन इकाई (NBSU) एवं जनपदों के जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालयों में सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) की स्थापना चरणबद्ध रूप से की जा रही है। इसी क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या-एस०पी०एम०यू०/CH/NBSU/45/2017-18/5116-75, दिनांक 23.08.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त दिशा निर्देशों के माध्यम से न्यूबोर्न स्टेबलाईजेशन इकाई (NBSUs) के संचालन हेतु धनराशि एवं विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किये गये थे। तदनुसार कार्यक्रम का संचालन किया जाना है।

01- वित्त पोषण-

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 की आर०ओ०पी० में 75 जनपदों की 239 जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालयों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एन०बी०एस०यू० इकाईयों क्रियाशील/क्रियाशील की जा रही इकाईयों के संचालन हेतु आपरेशनल कास्ट, संविदा स्टाफ नर्सों के मानदेय हेतु जिला कार्ययोजना (डैप) में स्वीकृत धनराशि की सीमा तक व्यय किया जाना है। स्वीकृत धनराशि का उपयोग जनपद स्तर पर उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा एवं जिला कार्ययोजना (डैप) के सापेक्ष व्यय विवरण प्रेषित किया जायेगा।

- 1) एन०बी०एस०यू० ऑपरेशनल कॉस्ट- भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 की आर०ओ०पी० के New FMR Code-1.3.1.2 and old FMR Code- A.2.2.2 पर जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालयों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 239 एन०बी०एस०यू० इकाईयों के लिये ऑपरेशनल कॉस्ट मद में प्रति इकाई रु० 5000/- की दर से 12 माह के लिये नीचे दी गयी तालिकानुसार जिला कार्ययोजना (डैप) के अनुसार धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

S.N.	Item	Unit	Cost per unit	Total Cost
1	Baby Blankets	8	Rs 200	Rs 1600
2	Baby sock and caps	20	Rs 100	Rs 2000
3	Katori and spoon	5	Rs 40	Rs 200
4	Gowns for mothers	8	Rs 150	Rs 1200
Soap, cotton, gauze, Infant feeding tubes, black cloth for eye shields, and other consumables for NBSU			From regular hospital supply	

- 2) एन०बी०एस०यू० संविदा स्टाफ नर्स- भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 की आर०ओ०पी० के New FMR Code-8.1.9.3 and old FMR Code B.30.9.3 पर जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालयों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 239 एन०बी०एस०यू० इकाईयों के लिये पूर्व से कार्यरत 259 स्टाफ नर्सों को प्रति स्टाफ नर्स को रु० 19058.00 प्रतिमाह की दर से 12 माह के मानदेय, 459 स्टाफ नर्सों का मानदेय प्रति स्टाफ नर्स को रु० 18150.00 प्रतिमाह की दर से 12 माह के मानदेय हेतु नीचे दी गयी तालिकानुसार जिला कार्ययोजना (डैप) के अनुसार धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी संलग्न तालिकानुसार स्वीकृत धनराशि यथाशीघ्र सम्बन्धित चिकित्सा इकाईयों को उपलब्ध करना सुनिश्चित करें।

स्वीकृत धनराशि का उपयोग जनपद स्तर पर उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा एवं जिला कार्ययोजना (डैप) के सापेक्ष व्यय विवरण प्रेषित किया जायेगा।

MK

02— Mother and newborn Care unit (MNCU) (NBSU, KMC Lounge तथा Step down bed) के संचालन हेतु निर्देश—

- 7+ कार्यक्रम के अन्तर्गत 07 जनपदों (सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराईच, बलरामपुर, श्रावस्ती गोण्डा एवं सिद्धार्थ नगर) की चयनित 59 एन0बी0एस0यू0 के लिये दिशा निर्देश अलग से प्रेषित किये जायेंगे।
- एन0बी0एस0यू0 के संचालन हेतु औषधियों अन्य आवश्यक सामग्री चिकित्सालय की नियमित सप्लाई से उपलब्ध करायी जायेगी। यह इकाईयां चिकित्सालय का अभिन्न अंग है।
- Mother and newborn Care unit (MNCU) के अन्तर्गत एस0एन0सी0यू0 / एन0बी0एस0यू0 के साथ KMC Lounge की स्थापना हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या—एस0पी0एम0यू0 / सी0एच0 / KMC / 42 / 2018—19 / 5981—58, दिनांक 31.08.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें उक्त पत्र के माध्यम से चयनित जनपदों की चयनित चिकित्सा इकाईयों KMC Lounge की स्थापना हेतु धनराशि एवं दिशा निर्देश प्रेषित किये जा चुके हैं। तदनुसार यथाशीघ्र कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
- भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में **Mother and newborn Care unit (MNCU)** के अन्तर्गत एन0बी0एस0यू0 के साथ **KMC Lounge** तथा **Step down bed** भी इस इकाई का अभिन्न अंग होंगे। ताकि माँ एवं बच्चे को सुविधाजनक और आरामदायक सुविधायें प्रदान की जा सकें। उपरोक्त के दृष्टिगत एन0बी0एस0यू0 / के0एम0सी0 में कार्यरत स्टाफ नर्सों द्वारा इकाई में समान रूप से कार्य किया जायेगा।
- इकाई में तैनात संविदा कर्मियों को किसी अन्य स्थान पर कार्य करने के लिये न लगाया जाय। यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, चिकित्सा अधीक्षक, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी / नोडल अधिकारी, व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
- यह सुनिश्चित किया जाये कि स्टाफ नर्स / चिकित्सक अपने ड्यूटी के समय निर्धारित ड्रेस में कार्य करें।
- भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में **Mother and newborn Care unit (MNCU)** के अन्तर्गत संचालित एन0बी0एस0यू0 में कार्यरत स्टाफ नर्सों जिन्होंने पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, इन चिकित्सकों एवं स्टाफ नर्सों को IYCF, KMC एवं F-IMNCI प्रशिक्षण कराया जाना प्रस्तावित है। यह प्रशिक्षण इकाई में कार्यरत चिकित्सा अधिकारी एवं स्टाफ नर्स के लिये अनिवार्य है। जब प्रशिक्षण हेतु पत्र राज्य स्तर से भेजा जायेगा, स्थानीय व्यवस्था सुनिश्चित करते हुये प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त करना होगा। नामांकन आदेश के उपरान्त यदि स्टाफ नर्स एवं पीडियाट्रीशियन प्रशिक्षण में भाग नहीं लेंगे तो ऐसी स्थिति में शासनादेश संख्या—3033/सेक—2—पांच—14—7(56)/14 T.C., दिनांक 09.10.2014 के संदर्भ में उस अवधि का वेतन रोका जा सकता है।

03— वित्तीय निर्देश—

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
2. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख कैश बुक लेजर चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का रजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियाँ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी द्वारा कराना सुनिश्चित करें।
3. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाईयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
4. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुये अपनी लेखा पुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
5. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्ट की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
6. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियों, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं मासिक कान्क्रेन्ट अडिटर, स्टेटच्यूरी अडिटर, महालेखाकार की अडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाईड लाइन्स फार फाइनैन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
8. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, चिकित्सा अधीक्षक, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी एवं सम्बन्धित लिपिक/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।

9. प्रत्येक माह एन0बी0एस0यू0 से मदवार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0 तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।
10. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति न की जाय, इसको शासन स्तर पर गम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाइट पर उपलब्ध है।
11. इस कार्यालय के पत्र संख्या-एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012-13/लेखा/पी0एफ0एम0एस0/187/96-2, दिनांक 08/04/2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेशियल मैनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई-पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।

04- कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन -

न्यूबोर्न स्टेबलाईजेशन यूनिट (NBSU) पर क्रियाशीलता बनाये रखने के लिये उपकरणों का रख रखाव एवं विद्युत आपूर्ति, महत्वपूर्ण है। इस कार्यालय के पत्र संख्या-एस0पी0एम0यू0/बाल स्वास्थ्य/2010-11/18-13/9840-2, दिनांक 10 जुलाई 2010 एवं एम0एन0एच0 टूल किट का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तदनुसार इन इकाईयों की क्रियाशीलता सुनिश्चित की जाये। क्योंकि यह इकाईयां चिकित्सालय का अभिन्न अंग है। अतः विद्युत वायरिंग अर्थिंग मानक के अनुसार पूर्ण करने तथा इन इकाईयों में आग से सुरक्षा सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय /चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का होगा। इस हेतु विभागीय इन्जीनियर का सहयोग लेने का कष्ट करें।

न्यूबोर्न स्टेबलाईजेशन यूनिट (NBSU) की भौतिक प्रगति रिपोर्ट संलग्न प्रारूप पर प्रत्येक माह की 25 तारीख तक महानिदेशालय परिवार कल्याण, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के ई-मेल jdrchup@gmail.com एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ उत्तर प्रदेश के ई-मेल nbsureportup@gmail.com पर संलग्न प्रारूप पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अन्य किसी जानकारी के लिये संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश के मो0न0 08874819345 एवं महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के मो0न0 09415026046 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(पंकज कुमार)

मिशन निदेशक

तददिनांक

पत्र संख्या-एस0पी0एम0यू0/CH/NBSU/45/2018-19/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सेवायें, स्वास्थ्य भवन उ0प्र0, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0।
6. संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय को इस आशय के साथ कि अपने जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
8. सम्बन्धित चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को इस आशय के साथ कि अपने जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
9. समस्त मण्डलीय एवं जनपदीय, कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
12. हेल्थ स्पेशलिस्ट, यूनीसेफ, बी-3/258, विशाल खन्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उ0प्र0।

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)

महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य

S.N.		Name of District	S.N.	Name of NBSU Unit	Districts wise fund Approved NBSU FY 2018-19										Total Fund per unit	Total Fund Approved to DHS
					NBSU Operational cost for 12 month	Total No. of Staff Nurse	Staff Nurse Honorarium					Total Staff Nurse Honorarium				
Old FMR Code-		A.2.2.2	B.30.9.3													
		New FMR Code-		1.3.1.2	8.1.9.3											
1	Agra	1	CHC Bah	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088	2698976				
		2	CHC Samsabad	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088					
		3	CHC Fatehabad	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400					
		4	CHC Khairabad	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400					
	Aligarh	5	DCH Aligarh	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088	2731664				
		6	CHC Khar	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088					
		7	CHC Atrauli	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088					
		8	CHC Chhara	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400					
	Allahabad	9	CHC Jasra	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088	2040576				
		10	CHC Soran	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088					
		11	CHC Phoolpur	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400					
		12	CHC Tanda	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088					
	Ambedkar Nagar	13	CHC Baskhari	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088	1382176				
		14	CHC Jagdishpur	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088					
		15	CHC Singhpur	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088					
		16	CHC Musafirkhana	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088					
	Amethi	17	CHC Shukul Bazar	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088	3455440				
		18	CHC Fursatganj	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088					
		19	CHC Gajraula	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088					
		20	CHC Joya	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400					
	Amroha (JP Nagar)	21	CHC Hasanpur	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	266288				
		22	CHC Rehra	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400					
		23	DCH Auraiya	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400					
		24	CHC Bidhuna	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400					
7	Auraiya											1316800				

AW

Districts wise fund Approved NBSU FY 2018-19													Total Fund Approved to DHS
S.N.	Name of District	S.N.	Name of NBSU Unit	NBSU Operational cost for 12 month	Total No. of Staff Nurse	Staff Nurse Honorarium				Total Staff Nurse Honorarium	Total Fund per unit		
						No	Staff Nurse @ Rs.19058/- month for 12 Month	No	Staff Nurse @ Rs.18150/- month for 12 Month				
Old FMR Code-					A.2.2.2				B.30.9.3				Total Fund Approved to DHS
New FMR Code-					1.3.1.2				8.1.9.3				
8	Azamgarh	25	CHC Phoolpur	5000	3	0	0	0	3	653400	653400	658400	3292000
		26	CHC Mubarakpur	5000	3	0	0	0	3	653400	653400	658400	
		27	CHC Lalganj	5000	3	0	0	0	3	653400	653400	658400	
		28	CHC Biliariyaganj	5000	3	0	0	0	3	653400	653400	658400	
		29	PHC Azmatgarh	5000	3	0	0	0	3	653400	653400	65400	
9	Baghpat	35	CHC Baraut	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088	691088	691088
10	Bahraich	36	CHC Nanpara	5000	3	0	0	0	3	653400	653400	658400	3950400
		37	CHC Kaisarganj	5000	3	0	0	0	3	653400	653400	658400	
		38	CHC Motipur	5000	3	0	0	0	3	653400	653400	658400	
		39	CHC Payagpur	5000	3	0	0	0	3	653400	653400	658400	
		40	CHC Risia	5000	3	0	0	0	3	653400	653400	658400	
		41	CHC Jarwal	5000	3	0	0	0	3	653400	653400	658400	
		42	CHC Rasra	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088		
11	Ballia	43	CHC Siyar	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088	2073264	
		44	CHC Sikandarpur	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088		
		45	CHC Tushipur	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088		
		46	DCH Balrampur	5000	3	0	0	0	3	653400	653400		658400
		47	CHC Pachperwa	5000	3	0	0	0	3	653400	653400		658400
12	Balrampur	48	CHC Gainsari	5000	3	0	0	0	3	653400	653400	658400	5299888
		49	CHC Sheopura	5000	3	0	0	0	3	653400	653400	658400	
		50	CHC Utraula	5000	3	0	0	0	3	653400	653400	658400	
		51	PHC Sriganj	5000	3	0	0	0	3	653400	653400	658400	
		52	CHC Sadullanagar	5000	3	0	0	0	3	653400	653400	658400	

AW

Districts wise fund Approved NBSU FY 2018-19													Total Fund Approved to DHS
S.N.	Name of District	S.N.	Name of NBSU Unit	NBSU Operational cost for 12 month	Total No. of Staff Nurse	Staff Nurse Honorarium				Total Staff Nurse Honorarium	Total Fund per unit		
						No	Staff Nurse (@ Rs.19058/- month for 12 Month	No	Staff Nurse (@ Rs.18150/- month for 12 Month				
												8.1.9.3	
Old FMR Code- A.2.2.2					B.30.9.3								
New FMR Code- 1.3.1.2					8.1.9.3								
13	Banda	53	CHC Naraini	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088	2007888	
		54	CHC Babaru	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400		
		55	PPC Atarra	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400		
		56	CHC Fatehpur	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088		
14	Barabanki	57	CHC Haidergarh	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088	2731664	
		58	CHC R S Ghat	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088		
		59	CHC Dewa	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400		
		60	CHC Fareedpur	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088		
15	Barcellly	61	CHC Baheri	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088	2040576	
		62	CHC Meeranji	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400		
16	Basti	63	CHC Hariya	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088	691088	
17	Bijnour	65	CHC Dhanpur	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	658400	
18	Budoun	30	CHC Bisauli	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	3292000	
		31	CHC Ujhani	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400		
		32	CHC Bilsa	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400		
		33	CHC Dataganj	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400		
19	Bulandshahar	34	CHC Sahaswan	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	2644496	
		66	DCH Sikandarabad	5000	3	1	228696	2	435600	664296	669296		
		67	SDH Khurja	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400		
		68	CHC Pahasu	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400		
20	Chandauli	69	CHC Diba	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	1975200	
		70	WH Mugalسرائ	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400		
		71	DCH Chakiya	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400		
		72	CHC Sakaldaha	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400		

Districts wise fund Approved NBSU FY 2018-19												
S.N.	Name of District	S.N.	Name of NBSU Unit	NBSU Operational cost for 12 month	Total No. of Staff Nurse	Staff Nurse Honorarium				Total Staff Nurse Honorarium	Total Fund per unit	Total Fund Approved to DHS
						B.30.9.3						
						No	Staff Nurse @ Rs.19058/- month for 12 Month	No	Staff Nurse @ Rs.18150/- month for 12 Month			
Old FMR Code-				A.2.2.2	8.1.9.3						Total Fund Approved to DHS	
New FMR Code-				1.3.1.2								
21	Chitrakoot	73	CHC Manikpur	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088	2007888
		74	CHC Shivrampur	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	
		75	CHC Pahari	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	
		76	CHC Salempur	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	
22	Deoria	77	CHC Rudrapur	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	3292000
		78	PHC Bhaipar Rani	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	
		79	CHC Gauribazar	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	
		80	CHC Pathardeva	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	
23	Etah	81	CHC Jalesar	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088	691088
24	Etawah	82	CHC Bharhana	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	1975200
		83	CHC Jaswanti Nagar	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	
		84	CHC Basrhar	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	
		85	CHC Rudauli	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	
25	Faizabad	86	CHC- Poorabazar	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	1975200
		87	CHC Sohawal	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	
		88	CHC Kayamganj	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088	
		89	CHC Kamalganj	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088	
26	Farrukhabad	90	CHC Khaga	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088	1382176
27	Fatehpur	91	CHC Bindki	5000	3	2	457392	1	217800	675192	680192	2029680
		92	FRU DWH	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	
		93	CHC Shikohabad	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088	
28	Firozabad	94	CHC Tundla	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088	2040576
		95	CHC Khairgaah	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	

AW

Districts wise fund Approved NBSU FY 2018-19												Total Fund Approved to DHS
S.N.	Name of District	S.N.	Name of NBSU Unit	NBSU Operational cost for 12 month	Total No. of Staff Nurse	Staff Nurse Honorarium				Total Staff Nurse Honorarium	Total Fund per unit	
						No	Staff Nurse @ Rs.19058/- month for 12 Month	No	Staff Nurse @ Rs.18150/- month for 12 Month			
Old FMR Code-				A.2.2.2	8.1.9.3							
New FMR Code-				1.3.1.2								
29	GB Nagar	96	CHH Dadri	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088	1382176
		97	CHC Badalpur	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088	
30	Ghaziabad	98	CHC Muradnagar	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	1316800
		99	CHC Loni	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	
31	Ghaziipur	100	CHC Saidpur	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	1316800
		101	CHC Mohammadabad	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	
		102	CHC Colomelganj	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088	
		103	PHC Quazecdevar	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	
		104	CHC Itiyahok	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	
		105	CHC Katrabazar	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	
		106	CHC Haldharnaw	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	
		107	CHC Mujehana	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	
		108	CHC Rupaidech	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	
		109	CHC Pandrikripal	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	
32	Gonda	110	CHC Tarabganj	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	10567088
		111	CHC Belsar	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	
		112	CHC Paraspur	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	
		113	CHC Nawabganj	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	
		114	CHC Wazecganj	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	
		115	CHC Mankapur	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	
		116	CHC Bahhanjot	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	
		117	CHC Maskanwa	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	
		118	CHC Sahjanwa	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088	
		119	CHC Kauria	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088	
33	Gorakhpur	120	PHC Kaimpiyarganj	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	2040576

Amc

Districts wise fund Approved NBSU FY 2018-19													
S.N.	Name of District	S.N.	Name of NBSU Unit	NBSU Operational cost for 12 month	Total No. of Staff Nurse	Staff Nurse Honorarium					Total Staff Nurse Honorarium	Total Fund per unit	Total Fund Approved to DHS
						No	Staff Nurse @ Rs.19058/- month for 12 Month	No	Staff Nurse @ Rs.18150/- month for 12 Month	Total Staff Nurse Honorarium			
Old FMR Code-				A.2.2.2	B.30.9.3								
New FMR Code-				1.3.1.2	8.1.9.3								
34	Hamirpur	121	CHC Rath	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088	1349488	
		122	CHC Moudaha	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400		
35	Hapur	123	CHC Hapur	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088	691088	
36	Hardoi	124	CHC Sandila	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088	1382176	
		125	CHC Pihani	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088		
		126	CHC Sadabad	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088		
37	Hathras	127	CHC Sasni	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	2007888	
		128	CHC hasayan	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400		
		129	CHC Kalpi	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	658400	
39	Jaunpur	130	CHC Badlapur	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088	2007888	
		131	CHC Machhalishahar	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400		
		132	PHC Jalalpur	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400		
40	Jhansi	133	CHC Babina	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088	1382176	
		134	CHC Mauranipur	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088		
41	Kannauj	135	CHC Chibramau	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088	691088	
42	Kanpur Dehat	136	CHC Pukhraya	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088	1349488	
		137	CHC Rasulabad	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400		
		138	CHC Ghatampur	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088		
43	Kanpur Nagar	139	CHC Sarsul	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	2007888	
		140	CHC Bhilaur	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400		
		141	CHC Kansganj	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088	691088	
45	Kaushambi	142	CHC Sarai Akil	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088	2666288	
		143	CHC Manjhanpur	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400		
		144	CHC Kara	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400		
145	CHC Mooranganj	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400				

AN

Districts wise fund Approved NBSU FY 2018-19											Total Fund Approved to DHS	
S.N.	Name of District	S.N.	Name of NBSU Unit	NBSU Operational cost for 12 month	Total No. of Staff Nurse	Staff Nurse Honorarium				Total Staff Nurse Honorarium		Total Fund per unit
						B.30.9.3						
						8.1.9.3						
New FMR Code-				1.3.1.2								
46	Kushinagar	149	CHC Kasia	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088	1349488
		150	CHC Fazlimgar	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	
47	Lakhimpur Khari	151	CHC Paliya	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	9217600
		152	CHC Gola	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	
		153	CHC Phardhan	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	
		154	CHC Bijua	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	
		155	CHC Mitauli	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	
		156	CHC Mohamndi	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	
		157	CHC Khamaria	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	
		158	CHC Nakha	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	
		159	CHC Dhaurahra	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	
		160	CHC Bankyganj	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	
48	Lalitpur	161	CHC Pasagawan	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	2007888
		162	CHC Ramla Behar	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	
		163	CHC Behajam	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	
		164	CHC Nighasan	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	
		165	CHC Talbehat	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088	
		166	CHC Madawara	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	
		167	CHC Mahrauni	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	
		168	CHC Gosaiganj	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088	
		169	CHC Mall	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088	
		170	CHC BKT	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088	
49	Lucknow	171	CHC Mohanlaliganj	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088	4804928
		172	CHC Sarojani Nagar	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088	
		173	CHC Itaulia	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088	
		174	RLB Lucknow	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	

Am

Districts wise fund Approved NBSU FY 2018-19												Total Fund per unit	Total Fund Approved to DHS
S.N.	Name of District	S.N.	Name of NBSU Unit	NBSU Operational cost for 12 month	Total No. of Staff Nurse	Staff Nurse Honorarium					Total Staff Nurse Honorarium		
						No	Staff Nurse @ Rs.19058/- month for 12 Month	No	Staff Nurse @ Rs.18150/- month for 12 Month				
Old FMR Code-				A.2.2.2	B.30.9.3								
New FMR Code-				1.3.1.2	8.1.9.3								
50	Maharajganj	175	CHC Partawal	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088	1349488	
		176	CHC Pharenda	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400		
51	Mahoba	177	CHC Panwari	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088	691088	
52	Mainpuri	178	CHC Kurawali	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088	691088	
53	Mathura	179	CHC Farah	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088	691088	
54	Mau	180	CHC Ghosi	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088	691088	
55	Meerut	181	CHC Mawana	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	1975200	
		182	CHC Sardhana	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400		
		183	CHC Daurala	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400		
56	Mirzapur	184	CHC Chunar	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	658400	
57	Moradabad	185	CHC Thakur Dwara	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	1975200	
		186	CHC Mundapandey	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400		
		187	CHC Bilari	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400		
58	Muzzafarnagar	188	CHC Khatauli	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088	691088	
59	Pilibhit	189	CHC Bisalpur	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	658400	
60	Pratapgarh	190	CHC Patti	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088	1382176	
		191	CHC Kunda	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088		
		192	CHC Bachrawan	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400		
61	Raibareilly	193	CHC Lalganj	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	2633600	
		194	CHC Unchahaar	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400		
		195	CHC Dalmau	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400		
		196	CHC Milak	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088		
62	Rampur	197	CHC Sahabad	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	1349488	
		198	CHC Deoband	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088		
63	Saharanpur	199	CHC Gangoh	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088	1382176	

AW

Districts wise fund Approved NBSU FY 2018-19													
S.N.	Name of District	S.N.	Name of NBSU Unit	NBSU Operational cost for 12 month	Total No. of Staff Nurse	Staff Nurse Honorarium					Total Staff Nurse Honorarium	Total Fund per unit	Total Fund Approved to DHS
						B.30.9.3							
						8.1.9.3							
Old FMR Code-				A.2.2.2									
New FMR Code-				1.3.1.2									
64	Sambhal	200	CHC Sambhal	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	2633600	
		201	CHC Bahjoi	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400		
		202	CHC Junawai	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400		
		203	CHC Rajpura	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400		
65	Sant Kabir Nagar	146	CHC Mehdawal	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088	2073264	
		147	CHC Haisar Bazar	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088		
		148	CHC Khalilabad	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088		
		64	DCH MCS-DH	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088		
66	Sant Ravidas	204	CHC Tilhar	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088	1349488	
67	Shahjahanpur	205	CHC Jalalabad	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400		
68	Shamli	206	CHC Shamli	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088	3983088	
69	Shravasti	207	CHC Ikaura	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088		
		208	CHC Sirsiya	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400		
		209	CHC Gilaula	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400		
		210	CHC Mahipur	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400		
		211	CHC Bhangha	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400		
		212	CHC Bhinga	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400		
		213	CHC Uska Bazar	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400		
		214	CHC Mithwal	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400		
70	Siddharth Nagar	215	CHC Basantpur	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400		
		216	CHC Khesraha	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400		
		217	CHC Soharagadh	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400		
		218	CHC Itwa	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400		
		219	CHC Sirsiya	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400		
		220	CHC Bewa	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400		

AME

Districts wise fund Approved NBSU / FY 2018-19												
S.N.	Name of District	S.N.	Name of NBSU Unit	NBSU Operational cost for 12 month	Total No. of Staff Nurse	Staff Nurse Honorarium				Total Staff Nurse Honorarium	Total Fund per unit	Total Fund Approved to DHS
						No	Staff Nurse @ Rs.19058/- month for 12 Month	No	Staff Nurse @ Rs.18150/- month for 12 Month			
Old FMR Code-				A.2.2.2	B.30.9.3							
New FMR Code-				1.3.1.2	8.1.9.3							
71	Sitapur	221	CHC Sidhauhi	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088	7307776
		222	CHC Laharpur	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088	
		223	CHC Khairabad	5000	3	0	0	3	653400	653400	65400	
		224	CHC Parsendi	5000	3	0	0	3	653400	653400	65400	
		225	CHC Hargaan	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	
		226	CHC Tambaur	5000	3	0	0	3	653400	653400	65400	
		227	CHC Biswan	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	
		228	CHC Reusa	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	
		229	CHC Mahmudabad	5000	3	0	0	3	653400	653400	65400	
		230	CHC Mishrikh	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	
		231	CHC Pisawan	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	
72	Sonbhadra	232	CHC Chopan	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088	691088
73	Sultanpur	233	CHC Kadipur	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	658400
74	Unnao	234	CHC Nawabganj	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088	2698976
		235	CHC Hasanganj	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088	
		236	CHC Safipur	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	
		237	CHC Bangarmanu	5000	3	0	0	3	653400	653400	658400	
75	Varanasi	238	CHC Cholepur	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088	1382176
		239	CHC Aranjilne	5000	3	3	686088	0	0	686088	691088	
Total Fund Released to DHS (In Rs.)				1195000	717	258	59003568	459	99970200	158973768	160168768	160168768

AWP

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ०प्र०,
विशाल कॉम्प्लेक्स,
19-ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या-एस०पी०एम०यू०/CH/NBSU/45/2018-19/

दिनांक 05/10/18

विषय-न्यूबोर्न स्टेबलाईजेशन इकाई (NBSU) के लिये आपरेशनल कास्ट एवं संविदा स्टाफ नर्सों के मानदेय हेतु स्वीकृत धनराशि के सम्बंध में।

महोदय/महोदया,

आप अवगत हैं कि प्रदेश में शिशु मृत्युदर में कमी लाने के लिये चिकित्सालयों के प्रसव कक्ष में न्यूबोर्न केयर कार्नर (NBCC) एवं प्रथम संदर्भन इकाईयों (FRUs) पर नवजात शिशु स्टेबलाईजेशन इकाई (NBSU) एवं जनपदों के जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालयों में सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU) की स्थापना चरणबद्ध रूप से की जा रही है। इसी क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या-एस०पी०एम०यू०/CH/NBSU/45/2017-18/5116-75, दिनांक 23.08.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त दिशा निर्देशों के माध्यम से न्यूबोर्न स्टेबलाईजेशन इकाई (NBSUs) के संचालन हेतु धनराशि एवं विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किये गये थे। तदनुसार कार्यक्रम का संचालन किया जाना है।

01- वित्त पोषण-

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 की आर०ओ०पी० में 75 जनपदों की 239 जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालयों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एन०बी०एस०यू० इकाईयों क्रियाशील/क्रियाशील की जा रही इकाईयों के संचालन हेतु आपरेशनल कास्ट, संविदा स्टाफ नर्सों के मानदेय हेतु जिला कार्ययोजना (डैप) में स्वीकृत धनराशि की सीमा तक व्यय किया जाना है। स्वीकृत धनराशि का उपयोग जनपद स्तर पर उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा एवं जिला कार्ययोजना (डैप) के सापेक्ष व्यय विवरण प्रेषित किया जायेगा।

- 1) एन०बी०एस०यू० ऑपरेशनल कॉस्ट- भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 की आर०ओ०पी० के New FMR Code-1.3.1.2 and old FMR Code- A.2.2.2 पर जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालयों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 239 एन०बी०एस०यू० इकाईयों के लिये ऑपरेशनल कॉस्ट मद में प्रति इकाई रू० 5000/- की दर से 12 माह के लिये नीचे दी गयी तालिकानुसार जिला कार्ययोजना (डैप) के अनुसार धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

S.N.	Item	Unit	Cost per unit	Total Cost
1	Baby Blankets	8	Rs 200	Rs 1600
2	Baby sock and caps	20	Rs 100	Rs 2000
3	Katori and spoon	5	Rs 40	Rs 200
4	Gowns for mothers	8	Rs 150	Rs 1200
Soap, cotton, gauze, Infant feeding tubes, black cloth for eye shields, and other consumables for NBSU			From regular hospital supply	

- 2) एन०बी०एस०यू० संविदा स्टाफ नर्स- भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 की आर०ओ०पी० के New FMR Code-8.1.9.3 and old FMR Code B.30.9.3 पर जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालयों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 239 एन०बी०एस०यू० इकाईयों के लिये पूर्व से कार्यरत 259 स्टाफ नर्सों को प्रति स्टाफ नर्स को रू० 19058.00 प्रतिमाह की दर से 12 माह के मानदेय, 459 स्टाफ नर्सों का मानदेय प्रति स्टाफ नर्स को रू० 18150.00 प्रतिमाह की दर से 12 माह के मानदेय हेतु नीचे दी गयी तालिकानुसार जिला कार्ययोजना (डैप) के अनुसार धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी संलग्न तालिकानुसार स्वीकृत धनराशि यथाशीघ्र सम्बन्धित चिकित्सा इकाईयों को उपलब्ध करना सुनिश्चित करें।

स्वीकृत धनराशि का उपयोग जनपद स्तर पर उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा एवं जिला कार्ययोजना (डैप) के सापेक्ष व्यय विवरण प्रेषित किया जायेगा।

02— Mother and newborn Care unit (MNCU) (NBSU, KMC Lounge तथा Step down bed) के संचालन हेतु निर्देश—

- 7+ कार्यक्रम के अन्तर्गत 07 जनपदों (सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराईच, बलरामपुर, श्रावस्ती गोण्डा एवं सिद्धार्थ नगर) की चयनित 59 एन0बी0एस0यू0 के लिये दिशा निर्देश अलग से प्रेषित किये जायेंगे।
- एन0बी0एस0यू0 के संचालन हेतु औषधियों अन्य आवश्यक सामग्री चिकित्सालय की नियमित सप्लाई से उपलब्ध करायी जायेगी। यह इकाईयां चिकित्सालय का अभिन्न अंग है।
- Mother and newborn Care unit (MNCU) के अन्तर्गत एस0एन0सी0यू0/एन0बी0एस0यू0 के साथ KMC Lounge की स्थापना हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या-एस0पी0एम0यू0/सी0एच0/KMC/42/2018-19/5981-58, दिनांक 31.08.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें उक्त पत्र के माध्यम से चयनित जनपदों की चयनित चिकित्सा इकाईयों KMC Lounge की स्थापना हेतु धनराशि एवं दिशा निर्देशा प्रेषित किये जा चुके हैं। तदनुसार यथाशीघ्र कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
- भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में **Mother and newborn Care unit (MNCU)** के अन्तर्गत एन0बी0एस0यू0 के साथ **KMC Lounge** तथा **Step down bed** भी इस इकाई का अभिन्न अंग होंगे। ताकि माँ एवं बच्चे को सुविधाजनक और आरामदायक सुविधायें प्रदान की जा सकें। उपरोक्त के दृष्टिगत एन0बी0एस0यू0/के0एम0सी0 में कार्यरत स्टाफ नर्सों द्वारा इकाई में समान रूप से कार्य किया जायेगा।
- इकाई में तैनात सविदा कर्मियों को किसी अन्य स्थान पर कार्य करने के लिये न लगाया जाय। यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, चिकित्सा अधीक्षक, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी /नोडल अधिकारी, व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
- यह सुनिश्चित किया जाये कि स्टाफ नर्स/चिकित्सक अपने ड्यूटी के समय निर्धारित ड्रेस में कार्य करें।
- भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में **Mother and newborn Care unit (MNCU)** के अन्तर्गत संचालित एन0बी0एस0यू0 में कार्यरत स्टाफ नर्सों जिन्होंने पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, इन चिकित्सकों एवं स्टाफ नर्सों को IYCF, KMC एवं F-IMNCI प्रशिक्षण कराया जाना प्रस्तावित है। यह प्रशिक्षण, इकाई में कार्यरत चिकित्सा अधिकारी एवं स्टाफ नर्स के लिये अनिवार्य है। जब प्रशिक्षण हेतु पत्र राज्य स्तर से भेजा जायेगा, स्थानीय व्यवस्था सुनिश्चित करते हुये प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त करना होगा। नामांकन आदेश के उपरान्त यदि स्टाफ नर्स एवं पीडियाट्रीशियन प्रशिक्षण में भाग नहीं लेंगे तो ऐसी स्थिति में शासनादेश संख्या-3033/सेक-2-पांच-14-7(56)/14 T.C., दिनांक 09.10.2014 के संदर्भ में उस अवधि का वेतन रोका जा सकता है।

03— वित्तीय निर्देश—

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
2. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख कैंश बुक लेजर चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का रजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियाँ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी द्वारा कराना सुनिश्चित करें।
3. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित कराये जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाईयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
4. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुये अपनी लेखा पुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
5. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्ट की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
6. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियाँ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं मासिक कान्क्रेन्ट अडिटर, स्टेटच्यूरी अडिटर, महालेखाकार की अडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाईड लाइन्स फार फाइनैन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
8. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, चिकित्सा अधीक्षक, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी एवं सम्बन्धित लिपिक/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।

9. प्रत्येक माह एन0बी0एस0यू0 से मदवार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0 तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।
10. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति न की जाय, इसको शासन स्तर पर गंभीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाइट पर उपलब्ध है।
11. इस कार्यालय के पत्र संख्या-एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012-13/लेखा/पी0एफ0एम0एस0/187/96-2, दिनांक 08/04/2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेशियल मैनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई-पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।

04- कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन -

न्यूबोर्न स्टेबलाईजेशन यूनिट (NBSU) पर क्रियाशीलता बनाये रखने के लिये उपकरणों का रख रखाव एवं विद्युत आपूर्ति, महत्वपूर्ण है। इस कार्यालय के पत्र संख्या-एस0पी0एम0यू0/बाल स्वास्थ्य/2010-11/18-13/9840-2, दिनांक 10 जुलाई 2010 एवं एम0एन0एच0 टूल किट का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तदनुसार इन इकाईयों की क्रियाशीलता सुनिश्चित की जाये। क्योंकि यह इकाईयां चिकित्सालय का अभिन्न अंग है। अतः विद्युत वायरिंग अर्थिंग मानक के अनुसार पूर्ण करने तथा इन इकाईयों में आग से सुरक्षा सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय /चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का होगा। इस हेतु विभागीय इन्जीनियर का सहयोग लेने का कष्ट करें।

न्यूबोर्न स्टेबलाईजेशन यूनिट (NBSU) की भौतिक प्रगति रिपोर्ट संलग्न प्रारूप पर प्रत्येक माह की 25 तारीख तक महानिदेशालय परिवार कल्याण, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के ई-मेल jdrchup@gmail.com एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ उत्तर प्रदेश के ई-मेल nbsureportup@gmail.com पर संलग्न प्रारूप पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अन्य किसी जानकारी के लिये संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश के मो0न0 08874819345 एवं महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के मो0न0 09415026046 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(पंकज कुमार)

मिशन निदेशक
तददिनांक

पत्र संख्या-एस0पी0एम0यू0/CH/NBSU/45/2018-19/ 7240-75(10)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सेवायें, स्वास्थ्य भवन उ0प्र0, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0।
6. संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय को इस आशय के साथ कि अपने जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
8. सम्बन्धित चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को इस आशय के साथ कि अपने जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
9. समस्त मण्डलीय एवं जनपदीय, कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
10. हेल्थ स्पेशलिस्ट, यूनीसेफ, बी-3/258, विशाल खन्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उ0प्र0।

ADW

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य